"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2022—श्रावण 28, शक 1944

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 29 जुलाई 2022

क्रमांक ई 1-03/2022/एक-2.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री जनक प्रसाद पाठक, भा.प्र.से. (2007), विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

2. श्री रमेश कुमार शर्मा, भा.प्र.से. (2010), संचालक, समाज कल्याण तथा अतिरिक्त प्रभार संचालक, भू-अभिलेख को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ संचालक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री का अतिरिक्त प्रभार सौंपता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2022

क्रमांक/4403/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 69 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, प्रदेश से देश के बाहर गैर-बासमती चावल के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी चावल निर्यातकों को, प्रदेश के राईस मिलरों से ऐसा क्रय किया गया गैर-बासमती चावल, जिसका प्रसंस्करण/विनिर्माण मंडियों के माध्यम से क्रय धान से किया गया हो, को मंडी शुल्क एवं कृषक कल्याण शुल्क से पूर्णतः छूट इस शर्त के अध्यधीन प्रदान करती है कि प्रदेश के अनुज्ञप्तिधारी चावल निर्यातकों/राईस मिलर्स द्वारा शिपिंग बिल की प्रति के साथ घोषणा पत्र, प्रदेश के संबंधित राईस मिलरों को दिया गया हो और संबंधितों द्वारा उक्त घोषणा पत्र तथा शिपिंग बिल की प्रति संबंधित मंडी में प्रस्तुत की गई हो तथा यह भी कि प्रदेश के राईस मिलरों द्वारा मंडी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार चावल निर्यातकों को अनुज्ञा-पत्र जारी किया गया हो.

यह अधिसूचना प्रकाशन की तिथि से 01 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2022

क्रमांक/4403/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/4403/डी-15/116/पार्ट-2/2004/14-2 रायपुर दिनांक 12-07-2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. सी. पैकरा, संयुक्त सचिव.

Nava Raipur, the 12th July 2022

No./4403/D-15/116/Part-2/2004/14-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 69 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby, for promote to export non-basmati rice from the State to outside the country, the licensed rice exporters of the State, such non-basmati rice purchased from the rice millers of the State, which has been processed/manufactured from paddy purchased through Mandis Provides complete exemption from mandi fee and farmers welfare fee subject to the condition that the declaration Form along with copy of shipping bill has been given by the licensed rice expoeters/ rice millers of the state to the concerned rice millers of the state and a copy of the said declaration Form and Shipping Bill has been submitted by the concerned in the concerned mandi and also the rice millers of the State have issued a permit to the rice exporters as per the provisions of the Mandi Act.

This Notification will be effiective for a period of 01 year from the date of publication.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. C. PAIKARA, Joint Secretary.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, दिनांक 11 जुलाई 2022

प्ररूप-एक
(नियम 11 देखिये)

क्रमांक/1276/भू-अर्जन/2022.—भूमि-अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-4 सहपठित नियम 7 के अंतर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का भू-अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है, अर्थात् :—

जिला (1)	तहसील (2)	ग्राम/नगर (3)	क्षेत्रफल (4)	लोक प्रयोजन का विवरण (5)
दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	आंवराभाटा	0.062 हेक्ट.	रेल्वे लाईन दोहरीकरण निर्माण हेतु

उपरोक्त भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक 29-07-2022 को समय 11.00 बजे कार्यालय नगर पालिका परिषद, दंतेवाड़ा में नियत की गई है. प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :—

(एक)	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	—	रेल्वे दोहरीकरण
(दो)	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	04
(तीन)	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	—	निरंक
(चार)	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(पांच)	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या.	—	निरंक
(छः)	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	—	हां
(सात)	क्या सम्भव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है.	—	हां
(आठ)	परियोजना की कुल लागत	—	2000 करोड़
(नौ)	परियोजना से होने वाला लाभ	—	सार्वजनिक आवागमन
(दस)	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिए उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय.	—	1182491.00 ग्यारह लाख ब्यासी हजार चार सौ इक्यानबे रुपये मात्र भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है.

(ग्यारह) परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक — निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनीत नंदनवार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 20 जुलाई 2022

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 5810/202207270900013/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बलरामपुर-रामानुजगंज	रामचन्द्रपुर	झारा	51.42	कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, क्रमांक-2 रामानुजगंज, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.).	कन्हर अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना अमवार जिला सोनभद्र (उ.प्र.) एफ.टी.एल से एम.डब्लू.एल तक के डुब क्षेत्र के छत्तीसगढ़ राज्य की भूमि ग्राम झारा.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (छ.ग.) के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय दयाराम के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

सूरजपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्रमांक/1394/भू-अर्जन/05/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	रामानुजनगर प.ह.नं. 22	0.0581	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	तारा - प्रेमनगर - रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्रमांक/1395/भू-अर्जन/04/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	प्रेमनगर	प्रेमनगर प.ह.नं. 18	0.3359	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	तारा - प्रेमनगर - रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

सूरजपुर, दिनांक 30 जून 2022

क्रमांक/1396/भू-अर्जन/09/अ-82/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सूरजपुर	रामानुजनगर	छिंदिया प.ह.नं. 24	0.5625	परियोजना प्रबंधक, छ.ग. रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड अम्बिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.).	तारा - प्रेमनगर - रामानुजनगर मार्ग चौड़ीकरण एवं उन्नयीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सूरजपुर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इफ्फत आरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5888/21/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-साल्हेकुसुमकसा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.168 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
226/1	1.007

	(1)	(2)
	227/1	0.161
योग	02	1.168

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पेंदलकुही जलाशय के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5889/22/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरगांव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.068 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	245/2	0.068
योग	01	0.068

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालमकोड़ो जलाशय के नहर नाली निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5890/23/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-सेम्हरबांधा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.121 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	381/3	0.008
	382/1	0.008
	416/1	0.008
	381/2	0.012
	416/2	0.008
	381/1	0.012
	416/3	0.008
	415/1	0.016
	415/2	0.016
	423/1	0.008
	423/2	0.008
	423/3	0.008
योग	12	0.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा एनीकट के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5891/24/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-कातुलवाड़ा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.065 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	84/3	0.065
योग	01	0.065

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा एनीकट के डूबान निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5892/25/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-हालमकोड़ो
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.173 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	79/3	0.032
	79/4	0.141
योग	02	0.173

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-हालमकोड़ो जलाशय के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5893/26/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
(ग) नगर/ग्राम-छछानपहरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.340 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	115/1	0.340
योग	01	0.340

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–बहोरनभेड़ी एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 12 जुलाई 2022

प्र. क्रमांक/5894/27/अ-82/भू-अर्जन/2017-18.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-अंबागढ़ चौकी
- (ग) नगर/ग्राम-हज्जूटोला
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.137 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	161/10	0.137
योग	01	0.137

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है–हालमकोड़ो जलाशय के डूबान निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मोहला में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डोमन सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्रमांक/5585/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-रामचन्द्रपुर
- (ग) नगर/ग्राम-टाटीआथर/चैनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-18.76 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
15	1.93
29	0.27
38	0.32
42	0.29
32/1	0.15
39	0.20
48	0.53
30	0.50
46	0.32
16	0.42
12	0.60
7	1.00
6	0.70
8	0.56
10	0.58
44	0.69
31/2	0.13
32/2	0.90
45	1.59

(1)	(2)
31/1	1.89
34	0.41
43	0.85
449	0.43
450	0.48
457	0.38
454/2	0.16
466/2	0.07
454/1	0.13
392/2	0.10
395/2	0.02
394	0.08
366	0.13
392/1	0.03
395/3	0.02
397	0.24
460	0.38
461	0.20
466/1	0.01
473	0.53
476	0.54
योग 40	18.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टाटीआथर जलाशय योजना के डूबान, बांध एवं नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-टाटीआथर तथा टाटीआथर जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-चैनपुर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्रमांक/5587/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
(ख) तहसील-रामचन्द्रपुर
(ग) नगर/ग्राम-कुर्लूडीह
(घ) लगभग क्षेत्रफल-9.33 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
701	0.03
741	0.58
697	0.86
709/2	0.81
699	0.42
675	0.20
780	0.50
793	0.76
766	0.89
742	0.84
674	0.11
743	0.60
709/1	1.30
738	0.06
809	0.02
802	0.56
803	0.79
योग 17	9.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कुर्लूडीह जलाशय योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-कुर्लूडीह हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्रमांक/5589/अ-82/2021-22.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज
- (ख) तहसील-रामचन्द्रपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चेरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.86 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1454	0.14
1578	0.15
1459	0.42
1462	0.12
1457	0.43
1461	0.28
1465	0.07
1579	0.58
1463	0.20
1572	0.02
1456	0.18
1574	0.34
1575	0.18
1577	0.18
1581	0.12
1580	0.45
योग 16	3.86

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-चेरा व्यपवर्तन योजना के शीर्ष एवं नहर निर्माण अंतर्गत ग्राम-चेरा हेतु

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रामानुजगंज के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यालयीन समय के दौरान किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय दयाराम के., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय, अम्बिकापुर (छ.ग.)

अम्बिकापुर, दिनांक 22 अप्रैल 2022

प्रारूप-पांच
(नियम 11 देखिये)

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र के अंतिम प्रकाशन का प्रारूप

क्रमांक 462/नग्रानि/वि.यो.-भटगवां/2022.—भटगवां निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को छत्तीसगढ़, नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 25-03-2022 में प्रकाशित किया गया था, एवं उक्त धारा की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, निर्धारित समयावधि में कोई भी आपत्ति या सुझाव, उपांतरण प्राप्त नहीं हुआ है.

यत:, उपरोक्त निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन एतद्द्वारा, अंगीकृत किया जाता है एवं इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (4) के अनुसरण में "छत्तीसगढ़ राजपत्र"

में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है. जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि उक्त मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है. उक्त अंगीकृत मानचित्र की प्रति छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 15 दिवस के लिए कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतु निम्नलिखित कार्यालयों में उपलब्ध रहेगी :—

1. संभागीय आयुक्त, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
2. जिला कलेक्टर, सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ.ग.)
3. सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा (छ.ग.)
4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, सूरजपुर जिला सूरजपुर (छ.ग.)

FROM-V
(See rule 11)

Form for final publication of existing land use map

No. 462/T&CP/DP-Bhatgaon/2022.—The existing land use map for Bhatgaon planning area was published under sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973) in the Chhattisgarh Gazette dated 25-03-2022 and objections and suggestions were invited from the public under the provisions of sub-section (2) of the said section. Any objection or suggestion, modification have not filed in the said planning area.

Now, the existing land use maps for the above planning area is hereby adopted under sub-section (3) of Section 15 of the said adhiniyam and a copy of the notice is also sent for its publication in "Chhattisgarh Gazette" Under the provision of sub-section (4) of section 15 of the said Adhiniyam. Which shall be conclusive evidence of the fact that the above maps has been duly prepared and adopted. The said adopted maps shall be available for inspection during office hours for a period of 15 days from the publication of the notice in Chhattisgarh Gazette in the following offices of :—

(i) Divisional Commissioner, Surguja (C.G.)
(ii) District Collector, Surajpur (C.G.)
(iii) Town and Country Planning Regional office Ambikapur (C.G.)
(iv) Chief Minicipal Officer, Municipal Council, Surajpur, Distt.-Surajpur (C.G.)

एन. एस. ठाकुर,
सहायक संचालक.

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल

ऑफिस कॉम्प्लेक्स प्रथम तल ब्लॉक-A एकात्म पथ, सेक्टर-24, अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक/33/04/योजना/बीओसी/2022/119.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक 64 दिनांक 20-04-2018 के कण्डिका (अ) योजना के प्रावधान एवं कण्डिका (स) योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

निर्माण श्रमिक ई-रिक्शा सहायता योजना :—

(अ) **योजना का प्रावधान :—**

- छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा रुपये 50,000/- अनुदान दिया जावेगा, को अतिक्रमित करते हुए

  "छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा राशि रुपये 1,00,000/- (अक्षरी राशि एक लाख रु.) अनुदान दिया जावेगा."

(स) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया में बिन्दु क्र. (v) एवं (vi) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करता है :—**

(v) योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :—

1. हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन परिचय पत्र की प्रति.
2. बैंक से लोन प्राप्त करने संबंधी दस्तावेज की मूल स्कैन प्रति.
3. आधार कार्ड.
4. ड्राईविंग लायसेंस
5. बैंक पास बुक

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

(vi) **आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि—**योजनांतर्गत आवेदन बैंक से ऋण स्वीकृति के 90 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना होगा.

उपरोक्त योजना में संशोधन दिनांक 01-05-2022 से प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/118.—भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सहपठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत हितग्राहियों के लिए संचालित "मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/46/04/योजना/बीओसी/2022/114 दिनांक 29-01-2022 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना :—

(च) **योजना की पात्रता :—**

4. पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो तथा 18 वर्ष 06 माह से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो, को अधिक्रमित करते हुए

"पंजीकृत निर्माण श्रमिक की पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष हो तथा अधिकतम 21 वर्ष से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो"

(छ) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

3. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि — आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 18 वर्ष 06 माह पूर्ण होने की तिथि के भीतर प्रस्तुत की जावेगी को अधिक्रमित करते हुए.

"आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि — आवेदन पत्र हितग्राही द्वारा पंजीयन की तिथि से न्यूनतम एक वर्ष की अवधि पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहित पुत्री की आयु न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 21 वर्ष पूर्ण होने की तिथि के भीतर प्रस्तुत की जावेगी"

उपरोक्त योजना में संशोधन दिनांक 01-05-2022 से प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक/54/04/योजना/बीओसी/2022/120.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए निम्नानुसार नवीन योजना "मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना" बनाती है :—

(क) **योजना का नाम :—** योजना का नाम "मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना" होगा.

(ख) **योजना का उद्देश्य :—** छ.ग. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कल्याण मंडल अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की सदस्यता भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन अधिनियम 1996 की धारा 14 के अंतर्गत 60 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके निर्माण श्रमिक की मंडल की सदस्यता स्वत: समाप्त हो जाती है, ऐसे निर्माण श्रमिक जो उक्त धारा के अंतर्गत मंडल की सदस्यता से निवृत्त होने वाले है, उन्हें सदस्यता से निवृत्त होने के पूर्व बेहतर जीवन यापन के उद्देश्य से सहायता स्वरूप राशि दी जावेगी.

(ग) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "मुख्यमंत्री श्रमिक सियान सहायता योजना" होगा.

2. यह योजना उन भवन और अन्य निर्माण कर्मकारों पर प्रभावशील होगी, जो अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत हिताधिकारी के रूप में पंजीबद्ध हो.

(घ) **योजना में देय हितलाभ :—**

1. इस योजनांतर्गत पात्र हितग्राहियों को राशि रु. 10,000/- (अक्षरी दस हजार रुपये) सहायता राशि एक मुश्त देय होगी.

(ड.) **योजना हेतु पात्रता :—**

1. योजना के लाभ हेतु हितग्राही कम से कम विगत 03 वर्ष से निर्माण श्रमिक के रूप में मंडल अंतर्गत पंजीकृत हो.

2. योजनांतर्गत हितग्राही की न्यूनतम आयु 59 वर्ष एवं अधिकतम 60 वर्ष के श्रमिक इस योजना हेतु पात्र होंगे.

(च) **योजना हेतु आवेदन की प्रक्रिया :—**

1. योजना के तहत् आवेदन केवल ऑनलाईन के माध्यम से स्वीकार किया जावेगा.

2. आवेदक स्वयं अथवा च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकता है.

3. योजना के तहत् ऑनलाईन आवेदन करते समय आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :—
   - 3.1 हितग्राही के जीवित श्रमिक पंजीयन कार्ड की मूल प्रति.
   - 3.2 हितग्राही के आधार कार्ड की प्रति.
   - 3.3 हितग्राही के बैंक पास बुक की प्रति.
   - 3.4 हितग्राही द्वारा स्व-घोषणा प्रमाण पत्र की प्रति.

टीप :— ऑनलाईन आवेदन के साथ केवल मूल दस्तावेज ही स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा.

(छ) **स्वीकृति का अधिकार :—**पात्रता की जांच उपरांत संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय के सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी/सहायक श्रम पदाधिकारी/श्रम निरीक्षक/श्रम उपनिरीक्षक द्वारा आवेदनों की स्वीकृति की जावेगी.

(ज) **भुगतान की प्रक्रिया :—** योजनांतर्गत पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को योजनांतर्गत प्रावधानित राशि की स्वीकृति प्रदान करते हुए आवेदक के खाते में आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी./डी.बी.टी. के माध्यम से राशि स्थानांतरित किया जावेगा.

(झ) **विसंगति का निराकरण :—** योजना में उल्लेखित शर्तों/नियमों के अतिरिक्त यदि कोई विसंगति उत्पन्न होती है, तो उस स्थिति में सचिव, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल का निर्णय अंतिम माना जावेगा.

(ञ) **योजना की प्रभावशीलता :—** यह योजना दिनांक 01-05-2022 से संपूर्ण छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रभावशील होगी.

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 मई 2022

क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/117.—"भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996" सहपठित "छत्तीसगढ़ भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम 2008" के नियम 277 तथा 279 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एतद्द्वारा छ.ग. भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" में पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक/61/04/योजना/बीओसी/2021/113 दिनांक 25-11-2021 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करती है :—

भगिनी प्रसूति सहायता योजना :—

(क) **योजना का प्रावधान :—**

1. योजना का नाम "भगिनी प्रसूति सहायता योजना" होगा के स्थान पर योजना का नाम "मिनीमाता महतारी जतन योजना" होगा.

उपरोक्त अधिसूचना जारी दिनांक से प्रभावशील होगी.

राजेश कुमार पात्रे,
सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 2nd May 2022

No. 5739/Rules/2022.—With the objective of effectuating and broadening the implementation of Open Court concept during the virtual as well as physical hearings of the High Court and Sub-ordinate Courts, Tribunals and Authorities under the supervisory control of the High Court of Chhattisgarh, in exercise of powers conferred by Article 225 and Article 227 of the Constitution of India, the High Court of Chhattisgarh hereby makes the following rules as to the live streaming of Court proceedings of the High Court of chhattisgarh, sub-ordinate Courts, Tribunals and Authorities under the supervisory control of the High Court of Chhattisgarh.

1. **Short Title & Commencement :—**
   (a) These rules shall be called the Chhattisgarh High Court (Live Streaming of Court Proceedings) Rules, 2022.

   (b) These rules shall be commenced w.e.f. 25/04/2022.

2. **Definitions :—**In these rules, unless the context or the subject matter otherwise requires :
   (a) **Archival Date :** means audio and visual data recorded during the conduct of the proceedings and retained by the Court under these rules.

(b) **Assisting Ministerial Personnel of the Court :** means and includes the Court Master and other staffs assisting the Presiding Judge(s).

(c) **Centralized Command and Control Centre (CCCC) :** means a place/room at Hight Court of Chhattisgarh in order to enable the system for live streaming as well as archieving of courtroom proceddings, the audio-visual recording of the High Court and District Courts of the State of Chhattisgarh, recording of all the cameras at optimized/reduced parameters; and such place/room shall also have archieving servers and storage for archieved courtroom recordings.

(d) **Chief Justice :** means Honourable the Chief Justice/Acting Chief Justice of the High Court of Chhattisgarh.

(e) **Communication device :** means a hardware device capable of transmitting analog or digital signal over the telephone and other communication devices, whether wired or wireless.

(f) **Court :** means the High Court of Judicature of Chhattisgarh, sub ordinate Courts, tribunals and authorities under the supervisory control of the High Court in the State.

(g) **Court Master/Reader :** means the court staff that assists the court in the conduct of proceedings, including updating of the cause lists published on the display board.

(h) **Designated Officer :** means Registrar (IT), Assistant Registrar (IT) or Assistant Programmer or any other officer authoritzed by the Chief Justice to perform duties under these rules.

(i) **District Command and Cotnrol Center (DCCC) :** means a place/room at each District Head Quarter in order to monitor live streaming and keep audio-visual recording of respective District Court and its Tehsil Courts.

(j) **High Court :** means the High Court of Chhattisgarh.

(k) **In-Charge Command Centre :** means the person/persons authorized by the Chief Justice or his designate for supervision of CCCC and DCCC.

(l) **Live Streaming Platform/Live Streaming Portal :** means the High Court authorised access to the web-platform/portal used for live telecast/streaming/webcasting of the physical/virtual court proceedings of the High Court and Sub-Ordinate Court, as may be selected and notified from time to time, by the High Court of Chhattisgarh.

(m) **Presiding Judge :** means and includes the Presiding Judge of Single Judge Court or of a Bench of the High Court, sub ordinate Courts, tribunals and authorities under the supervisory control of the High Court in the State before whom the case is listed.

(n) **Recording :** means audio and video data of preceedings stored in electronic format as per these rules.

(o) **Recording Device :** means any tool or instrument which is used for recording images or videos or sound or call.

(p) **Remote Location :** means and includes a geographical location other than the Court premises.

(q) **Video conferencing Platform :** means the platform/portal/application used for video conferencing/ remote conferencing/web conferencing, as may be selected and notified from time to time, by the High Court for the High Court and Sub-Ordinate Courts.

3. **Applicability :—**

(a) These Rules shall apply to the Court proceedigns whether those are in physical mode, virtual mode or in hybrid mode and shall also apply to the Lok Adalat proceedings and activities of Farewells, Ovations and Full Court References of the High Court or any other programmes organised by Courts with such modifications, as may be necessary to give effect them as per these Rules, For example-the word "Judge" used in these Rules may be read as "Chairman" in the context of Lok Adalat. The Chief Justice may specify from time to time other activities or proceedings, to which these Rules, shall be applicable.

4. **Mode of Live Streaming :**

(a) The mode of live straming of Court proceedings may be any publicly available Live Streaming Platform/Portal for live webcasting of audio-visual feed of the virtual/physical court proceedings. Such Live Streaming Plotform shall be selected and notified by the High Court from time to time.

(b) The live straming will be done by authoritsed High Court and District Court personnel only, directly to the Live Streaming Platform/Portal or through High Court official accounts of any Video Conferencing Platform to the Live Streaming Platform/Portal, as may be required depending upon the situation of virtual hearing or physical hearing.

(c) The live streaming of the Court Proceedings may be with latency/delay of upto 1 minutes from the actual proceedings.

(d) The weblink of accessing the live streaming of the court proceedings will be published on the website of the High Court and may also be published in the Causelist of the respective Court(s)/ Bench(es).

5. **Hardware :—**

(a) The required number of Cameras shall be installed in each Court rooms ensuring coverage of the Judge/Presiding Officer, the Advocates/Lawyers appearing in the concerned case, and also covering the area of the witness box of the case as also of the witness. It shall be ensured that the camera shall not film the media and Visitors Gallery.

(b) Facility of microphone shall be provided for advocates, witnesses, accused or any other person, permitted by the Court/Judge.

(c) Where proceedings are conducted through weblinks, including video conferencing services, appropriate software and hardware shall be employed, if necessary, to generate an integerated feed for Live-Streaming.

6. **Requistioning and Positioning of Human Resources :**

(a) A Centralized Command and Control Center (CCCC) shall be set up at High Court of Chhattisgarh, Bilaspur and a District Command and Control Center (DCCC) shall be set up at every district headquarter.

(b) All the Command and Control Centers shall be run by In-Charge Command Center or by an officer of the Court, who shall be authorized in this behalf by the Chief Justice in case of the High Court and by the Senior most Officer in case of the District Court or the Tribunal or the Authority and technical and video-recording experts, Such Command and Control Center shall monitor and track proceedings as they are Live-streamed and recorded.

(c) The coverage of proceedings shall be coordinated by the technical experts under the direct supervision of the designated officer.

(d) The designatd officer shall be subject to the directions of the Chief Justice for the overall implementation of Live-streaming and recording of proceedings.

7. **Personnel positioned in the Court :**

(a) In addition to the Court Master and Court staff attached to the Court, technical expert(s) shall be appointed/deputed in each of the Court premises to enable the Live-streaming of proceedings.

8. **Live-streaming and Recording of Proceedings :**

(a) Subject to the exclusions contained within these Rules, all proceedings shall be Live-streamed by the Court.

(b) The following shall be excluded from Live-streaming:

(i) In-camera proceedings as defined under Section 327 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Cr.P.C.) or Section 153B of the Code of Civil Procedure, 1908 (C.P.C.).

(ii) Matters concerning sexual offences.

(iii) Matters where Children and Juveniles are involved like POCSO cases etc.

(iv) Matters concerning gender-based violence against women.

(v) Matrimonial matters, matters of adoption and custody of child, including transfer petitions arising there under.

(vi) Matters relating to business confidentiality in commercial disputes.

(vii) Matters involving sensitive issues.

(viii) Matters of national security.

(ix) Recording of evidence.

(x) Matters relating to the Official Secrets Act, 1923.

(xi) Matters relating to the Madical Termination of Pregnancy Act, 1971.

(xii) Matters under Mental Health Act, 2017.

(xiii) Privilaged communications between the parties and their advocates and non-public discussions between advocates.

(xiv) Matters where the Judge is of the view that publication would be antithetical to the administration of justice or which may provoke enmity amongst communities likely to result in a breach of law and order.

(xv) Cases where a claim of privilage is accepted by the Court.

(xvi) Any other matter or category of matters, for which a specific direction is issued by the judge.

(xvii) Live-streaming in certain cases may be restricted to final arguments.

9. **Objections :**

(a) Objections, if any, to Live-Streaming may be raised at the time of institution of the case or any later stage by filing an application along with all appropriate details.

(b) The final decision as to whether or not to allow the Live-Streaming of the proceedings or any portion thereof shall be of the Judge.

10. **Manner of Recording of Proceedings :**

(a) The following need not be Live-Streamed or saved in the Archival Data :—

(i) Discussions between/amongst the judges.

(ii) Any document or instruction given by the Judge to any member of the staff during the proceedings.

(iii) Communication between advocate and client, inter-se advocates and communications which is not a submission exchanged between advocate and the Court.

(iv) At the time of order/judgment or rising of the judge for recess or otherwise, Live-Streaming shall be paused and in such circumstances, the monitor shall display the appropriate message.

11. **Storage and relay of proceedings :**

(a) The recordings shall be archieved and may be uploaded, wholly or in part, on the Court's website or made available on other digital platforms, as directed by the Judge. The Chief Justice may issue practice directions in this regard and also for the cases, and the period for which archieved data shall be preserved.

(b) There may be a delay of one minute in Live Streaming subject to the direction of the Judge and shall end when the Judge signals its conclusion for the day.

12. **Disclaimers, Prohibitions and Restrictions :**

(a) **Disclaimers :—**

(i) The daily cause list published on the website of the Court shall contain requisite information and disclaimer regarding Live-Streaming.

(ii) The Archival Data shall not constitute the official record of the Court proceedings unless otherwise directed by the Judge.

(b) **Restrictions and Limitations :—**

(i) No person other than the person authorized as per Rule 5 of these Rules shall record, share, reproduce, transmit upload post, publish, edit, use, capture Live-Stremaed proceedings or Archival Data or recodings in any form.

(ii) The use of authorized recordings in their original form may be permitted by the Court, inter-alia to disseminate news and for training, academic and educational purposes. Authorized recordings handed over for the aforesaid purposes shall not be further edited or processed. Such recordings shall not be used for commercial, promotional purposes or advertising in any form.

(iii) No person other than the person authorized as per Rule 5 of these Rules shall use a Recording Device for recording or for transcribing the proceedings.

(iv) Live Streaming of the proceedings shall not be claimed by any person as a matter of right.

(v) The High Court or its officials shall not be responsible for any delay, breakdown or disruption during the Live Streaming or its quality on the part of the Live Streaming Platform/Portal due to reasons attributable to technology or to any such other factor beyond the control of the Court.

(vi) The High Court shall have copyright over Live Streamed feed and videos, including the feed and videos retained in the Live Streaming platform after Live Streaming is over, prohibiting any unauthorized copying of the Live feed/videos.

(vii) The Live Streamed feed/videos of the proceedingds are not to be considered as part of the case of court record for the purpose of reliance in any proceedings of any nature and shall not be considered admissible as such, in any Court proceedings before any Court of law.

(viii) Requests for copy of any Live Streamed feed/videos shall not be entertained for any purpose whatsoever.

(ix) Anyone participating in the proceedings, whether in person or through video conferencing, shall have to maintain utmost discipline and decorum in consonance with the dignity and majesty of the Court. Any participant found to be misusing the access to the Court for undue publicity through Live Strreaming facility, may be asked to leave the Court if participating in person. In such a situation, if required, the Judge may direct to stop the Live Streaming of the proceedings.

(x) In case of stopping the Live Streaming for any of the foregoing reasons/circumstances, and the Live Streaming, when resumed, may have a fresh link, which would be notified through the High Court website and/or the Live Streaming Platform/Portal/Channel.

(xi) Violation of any rule mentioned in Rule 11 (b) shall enatil proceedings under the penal laws.

13. **Limitation and Restrictions :**

(a) The live streaming of the court preceedings is for general information purpose only, aimed to effectuate and broaden the principles of Open Court, transparency, access to justice and larger public interest. Live streaming of the Court proceedings being done with an educative and beneficial cause, will not be sought for as of right by any of the stakeholders.

(b) No live commenting or live chat will be allowed on the live streaming being done of the Court proceedings. Any comments posted on uploaded videos will be moderated by the High Court and approved, if found to be appropriate, relevant and useful.

(c) The High Court of Chhattisgarh or any personnel of its Registry will not be responsible for any delays, breakdown or disruption in the live streaming or its quality on the part of the Live Streaming platform/Portal. Any delay/breakdown/disruption/outage of the live streaming due to any reason at Court end, will be noted with details by the assisting ministerial personnel of the particular Court, in the Register as prescribed in ANNEXURE FORM I to these rules.

(d) The High Court of Chhattisgarh shall hold copyright over live streamed feed and videos, prohibiting any unauthorised copying of the live feed/videos. Unauthorised use/re-use, capture, editing/re-editing, distribution.redistribution, or creating derivative works or compiling the live streamed feed/videos or using the same for any commercial purpose, in any form, will not be permitted. However, web-links to the entire videos as live streamed/uploaded by the High Court may be used/embedded for any informational, educational and/or academic purposes.

(e) Notwithstanding any provisions of these rules, no unauthorised recording/streaming of the Court proceedings by anyone is deemed to be allowed.

(f) The live streamed feed/videos of the court proceedings are not to be considered as part of the case or court record or for reliance by any Subordinate Court of the State in any adjudication.

(g) The live streamed feed/videos of the court proceedings will not be allowed to be treated as evidence of anything relating to the Court proceedings and will also not be considered admissible as such, in any Court proceedings in the High Court or Subordinate Courts.

(h) Requests for copy of any live streamed feed/videos will not be entertained for any purpose whatsoever.

(i) No content of the live streamed feed/videos or any observations made therein, will be treated as authorised/certified/official version of anything relating to the Court proceedings. Only the orders/judgments pronounced by the respective Benches and the process/certified copies issued by the High Court Registry accordingly, will be treated as authentic and authorised.

(j) Anyone participating in the proceedings, whether in person or through video conferencing, will have to maintain utmost discipline and decorum for upholding the dignity and majesty of the Court. Any participant found to be misusing the access to the Court for undue publicity through live streaming facility, may be muted or removed from video conferencing session; or asked to leave the Court if participating in person. In such a situation, if required, the Presiding Judge may direct to stop the live streaming of the Court proceedings of the particular case for the day. Such an event will be noted by the assisting ministerial personnel of the Court, in the Register as prescribed in ANNEXURE FORM I to these rules.

(k) In case of stopping the live streaming for any of the foregoing reasons/circumstances, the live streaming, when resumed, may have a fresh link, which would be notified through the High Court website and/or the Live Streaming Platform/Portal.

(l) Violation of any of these provisions, will entail proceeding under the provisions of the Contempt of Courts Act, 1971 and other applicable penal laws.

ANNEXURE FORM-I

Bench/ Court of	Date & Time	Matter Number, Ld. Adv. etc.	Detailed Account of Not Live Streaming and Stopping/Pausing/Breakdown etc. of Live Streaming				Sign of the Assisting Ministerial Personnel
			Not Live Streaming on Instructions of the Presiding Judge(s) [Rule (c)]	Stopped/ Paused in the interest of administration of justice [Rule (f)]	Delays/ Breakdown/ Disruption [Rule 13(c)]	Stopping for Court Decorum [Rule 13 (j)]	

14. **Power to Relax :** The Chief Justice may, if satisfied that the operation of any Rule is causing undue hardship, by order, dispense with or relax the requirement of that Rule to such extent and subject to such conditions, as may be stipulated to deal with the case or category of cases in a just and equitable manner.

15. **Reference to Words and Expressions :** Words and expressions used and not defined in these Rules shall have the same meaning as assigned to them by the law for the time being in force, including the Information Technology Act 2000, CPC, the CrPC, Indian Evidence Act, 1872, and the General Clauses Act, 1897.

16. **Residual Provisions :** Matters, concerning which no express provision is made in these Rules, shall be decided by the Judge concerned with the principle of furthering the interest of justice.

By order of Hon'ble the High Court,
SANJAY KUMAR JAISWAL, Registrar General.